फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

किशनी देवी बनाम अमित वगै0

मु0नं0– 101/2025

किस्म मुकदमा– दावा

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

निर्णय प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.08.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 हेतु पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र इन तथ्यों के साथ पेश किया गया है कि भूमि खसरा नम्बर 308/189, 312/175, 34/39 प्रतिवादी की भूमि है। उक्त विवादित भूमि का मुकदमा संख्या 60/2022 धर्मसिंह बनाम अमित वगै0 का दिनांक 12.12.2022 को निर्णय हुआ है जिसकी अपील वादीगण द्वारा की गई है जो दावा लाये है उनके द्वारा अपील कर रखी है जिसमें कोई स्थगन आदेश नहीं है। उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि है जिसका विधिवत तकारमा हुआ है। वादी द्वारा उदघोषणा एवं स्थायी निषे0 दावा पेश किया है वह कानूनन नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा खारिज किया जावे। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया एवं निवेदन किया कि वादीगण द्वारा विवादित भूमि में कब्जे के आधार पर उदघोषणा का दावा पेश किया गया है जो कि चलने योग्य नहीं है तथा सिर्फ इसलिए पेश किया गया है क्योंकि विवादित भूमि के संबंध में पूर्व में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य तकारमा वाद निर्णित हुआ था जिसकी अपील में जब वादीगण को स्थगन आदेश प्राप्त नही हुआ तो महज अनावश्यक परेशान करने प्रतिवादीगण को एवं गलत तरीके से स्थगन आदेश प्राप्त करने की नियत से दावा पेश किया गया है। इसलिए किसी प्रकार से वाद हैतूक प्रकट नहीं होता है इसलिए दावा वादीगण खारिज किया जावे। वादीगण अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जवाब में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि पर आज दिन तक कभी भी प्रतिवादीगण का कब्जाकाश्त नहीं रहा है इसलिए प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 खारिज योग्य है। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस का मनन किया गया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के संबंध में यदि विधिक प्रावधानों का अवलोकन करें तो ज्ञात होता है कि वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा– क. जहां वह वाद–हेतुक प्रकट नहीं करता है, ख. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है, ग. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु	

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

किशनी देवी / अमित कौ० मु० नं०-101/25

वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,

घ. जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,

ड. जहां यह दो प्रतियों में फाइल नहीं किया जाता है,

च. जहां वादी नियत 9 के अपबंधो का अनुपालन करने में असफल रहता है।

प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णित प्रकरण जयमल बनाम रमेश अपील डिक्री / टी.ए. / 9118 / 2008 / जयपुर निर्णय दिनांक 09.03.2016 से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया, उक्त निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा अंकित किया है कि 2011 आर.आर.डी. पेज 508 जगदीश बनाम सीताराम वगै0 में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल की पूर्ण पीठ द्वारा पारित निर्णय अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर काश्तकारी अधिनियम में अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नहीं है तथा नया कानून प्रतिपादित करने की रेवेन्यू कोर्ट को विधायी शक्तियां प्राप्त नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वृहद पीठ ने जरिये निर्णय दिनांक 15.07.2015 अंतर्गत नजीर तारा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में इसी सिद्वान्त को प्रतिपादित करते हुए निर्णय दिया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किये जा सकते है। वादी द्वारा इस प्रकरण में कब्जे के आधार खातेदारी अधिकार चाहे गए है जिसके संबंध में उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के अवलोकन से स्पष्ट है केवल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिए जाने का कोई प्रावधान काश्तकारी अधिनियम में नहीं है, तथा प्रकरण में किसी प्रकार से वाद हैतुक प्रकट नहीं होता है, इसलिए प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार की जाती है तथा वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा